न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 54/2023

उनवान

1. जगदीश प्रसाद पुत्र धन्ना
2. साधूराम पुत्र धन्ना
3. हनुमान सहाय पुत्र धन्ना
समस्त जाति जाट निवासी कांट तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला–जयपुर राज0।
2. कालूराम पुत्र सोनाराम
3. योगेश पुत्र फूलचन्द
4. राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द
5. केसर देवी पत्नि फूलचन्द
समस्त जाति गुर्जर निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

–अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी ... राजस्थान

प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 07/11/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल ख0 न0 2533/1.2000 है0, 2626/0.4100 है0 कुल किता 02 कल रकबा 1.6100 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी ख0 न0 2533/1.2000 है0, 2626/0.4100 है0 कुल किता 02 कल रकबा 1.6100 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/सीमा/2022/19 दिनांक 02.05.2022 की पालना में दिनांक 16.06.2022 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से तहसीलदार शाहपुरा को प्रकारण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/890 दिनांक 14.02.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम देवन के हाल ख0 न0

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज

2533/1.2000 है0, 2626/0.4100 है0 कुल किता 02 कल रकबा 1.6100 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर भूमि का सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक 16.06.2022 को की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 की तामील हो चुकी है जो बावजूद तामील व सूचना के उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का जवाब दिनांक 27.09.2024 को बंद किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थीया के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल ख0 न0 2533/1.2000 है0, 2626/0.4100 है0 कुल किता 02 कल रकबा 1.6100 है0 वाकै ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए की खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2022 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/24..... को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) जयपुर ग्रामीण